समाचार

इंदिरा व्यवसायिक व आवासीय परिसर से मालवाहक वाहन गुजरना उचित नहीं

(निगम ने वैकल्पिक मार्ग का सुझाव प्रेषित किया जिला यातायात समिति को)

कोरबा 10 अगस्त 2015 –भारी मालवाहक वाहनों का इंदिरा व्यवसायिक एवं आवासीय परिसर तथा कालोनी की आंतरिक सड़कों से गुजरना उचित एवं व्यवहारिक नहीं है, इससे अनावश्यक रूप से वहां के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नगर पालिक निगम कोरबा ने सी.एस.ई.बी. चौक से स्टेडियम तक सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के परिणाम स्वरूप भारी मालवाहक वाहनों के गुजरने हेतु वैकल्पिक मार्ग का सुझाव जिला यातायात समिति को प्रेषित किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सी.एस.ई.बी.चौक से स्टेडियम तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क निगम के स्वयं के आधिपत्य की सड़क है तथा जनता की मांग पर आमजन के उपयोग हेतु उक्त सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य संपादित होने के कारण मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, दर्री एवं अन्य स्थानों की ओर से आने वाले भारी मालवाहक वाहन अनाधिकृत रूप से इंदिरा व्यवसायिक एवं आवासीय परिसर स्थित आंतरिक सड़कों से गुजर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है तथा भारी मालवाहक वाहनों के वहां से गुजरने से आमनागरिको को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला यातायात समिति को सुझाव दिया गया है कि चांपा की ओर जाने वाले वाहन तिलक मार्ग मुड़ापार बाईपास मार्ग होकर चांपा की ओर जाएं तथा यदि इन वाहनों को स्टेडियम की ओर जाना है तो वह तिलक मार्ग, रेलवे क्रासिंग टी.पी.नगर चौक, काफी हाउस के सामने से होते हुए स्टेडियम की ओर पहुंचे तथा वापसी पर भी इसी रूट का अनुसरण करें। नगर पालिक निगम कोरबा ने स्पष्ट किया है कि इंदिरा व्यवसायिक व आवासीय परिसर से भारी मालवाहक वाहन गुजरना किसी भी दृष्टि कोण से उचित नहीं है, निगम ने कहा है कि स्टेडियम से सी.एस.ई.बी. चौक तक की निर्माणाधीन सड़क निगम के आधिपत्य की सड़क है तथा उक्त सड़क का निर्माण जनता की मांग पर जनता के उपयोग के लिए किया जा रहा है।